उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और {पूर्व सैनिकों} के लिये आरक्षण) अधिनियम , 1993

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993}

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और *{पूर्व सैनिकों} के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और *{पूर्व सैनिकों} के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और *{पूर्व सैनिकों} के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

2–– इस अधिनियम में, –

[1]{(क) ''दृष्टिहीनता'' ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात :–

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (सेंनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;

(कक) ''प्रमस्तिष्क अंगघात'' का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व प्रसवकालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से परिमाणिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है;}

(ख) ''आश्रित'' का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, –

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित); और

[2]{(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित)' और

(तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है;}

[4]{(ग) ''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो –

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है; या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि अन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है; या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वंय की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

1– उ0प्र0 अधिनियम सं0 6 वर्ष 1997 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2– उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 01 वर्ष 2020 की धारा 2 द्वारा प्रतिथापित एवं अंतःस्थापित।

3– *अधिनियम में शब्दों ''भूतपूर्व सैनिक'' के स्थान पर शब्द ''पूर्व सैनिक'' उत्तराखण्ड अधिनिय संख्या 03 वर्ष 2009 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

4– उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2009 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है, और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी है ––

(एक) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।}

(घ) ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और ––

(एक) जिसने वीर गति प्राप्त की हो ; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो ; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये निरूद्ध हुआ हो ; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतों का दण्ड भोगा हो ; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो ; या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो ; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो ; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो ; या

(नौ) जो इन्डिया इण्डपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो ; या

(दस) जिसे गांधी–इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा, जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

{(घघ) ''श्रवण ह्रास'' का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है;

(घघघ) ''चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता'' का तात्पर्य हड्डियों, जोडों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो;

(घघघघ) ''कम दृष्टि'' ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;}[1]

{(घ–1) समूह क के पद या समूह ख के पद का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;}[3]

(ङ) [2]{''शारीरिक रूप से विकलांग'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से ग्रसित हो––

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(दो) श्रवण ह्रास;

(तीन) चलन किया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।}

1– उ0प्र0 अधिनियम सं0 06 सन् 1997 द्वारा धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

2– उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2009 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

3– उ0प्र0 अधिनियम सं0 29 सन् 1999 द्वारा धारा 2 (घ) द्वारा बढाया गया।

(च) {इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये है।}[1]

शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण

3–– [2]{(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा :–

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के आश्रितों के लिए; और रिक्तियों का पांच प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए;

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए:––

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ख) श्रवण ह्रास;

(ग) चलन किया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।}

(2) {×××}[3]

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे संबंधित है। उदाहरण के लिये यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह {नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की}[4] श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) {×××}[5]

{(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए, अग्रनीत किया जायेगा।}[6]

कठिनाइयों को दूर करना

4–– (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 06 सन् 1997 द्वारा धारा 2 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2009 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापन।
3. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा निकाल दी गयी।
4. उपर्युक्त की धारा 3 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 3 (घ) द्वारा निकाल दी गयी।
6. उपर्युक्त की धारा 3 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापन।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29 सन 1999 द्वारा धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) {×××}[1]

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

[2]{5–– {(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और *{पूर्व सैनिकों} के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जिनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

(1–क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और *{पूर्व सैनिकों} के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जिनमें 1999 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण–– उपधारा (1) और (1–क) के प्रयोजनों के लिए वही चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी समझी जायगी, जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती,––

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहां यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।}[3]

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।}[2]

निरसन और अपवाद

6–– (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 6 सन 1997 द्वारा धारा 4 द्वारा निकाल दी गयी।
2. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29 सन 1999 द्वारा धारा 4 का प्रतिस्थापित।